

अध्याय - 7 | कंपनी निर्माण

- एक व्यक्ति कंपनी (OPC) की अवधारणा किस अधिनियम के तहत लागू हुई?
 - कंपनी अधिनियम 1956
 - कंपनी अधिनियम 2013
 - कंपनी अधिनियम 2000
 - कंपनी अधिनियम 1991(B)

व्याख्या: OPC की व्यवस्था कंपनी अधिनियम 2013 में शामिल की गई है।

- OPC का सुझाव किस समिति ने दिया था?
 - एस. डी. फड़णवीस समिति
 - जे. जे. ईरानी समिति
 - चंद्रशेखर समिति
 - बोस समिति(B)

व्याख्या: OPC का प्रस्ताव जे. जे. ईरानी समिति ने रखा था।

- OPC का सदस्य कौन हो सकता है?
 - कोई भी संस्था
 - अवयस्क
 - एक प्राकृतिक भारतीय नागरिक
 - विदेशी नागरिक(C)

व्याख्या: सदस्यता केवल एक प्राकृतिक भारतीय नागरिक को दी जा सकती है जिसने पिछले वर्ष 182 दिन भारत में बिताए हों।

- OPC का सदस्य या नामांकित कौन नहीं बन सकता?
 - व्यापारी
 - अवयस्क
 - सरकारी कर्मचारी
 - शिक्षक(B)

व्याख्या: अवयस्क व्यक्ति को सदस्य या नामांकित बनने की अनुमति नहीं होती।

- कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी OPC में सदस्य/नामांकित हो सकता है?
 - दो
 - पाँच
 - केवल एक
 - कोई सीमा नहीं(C)

व्याख्या: एक व्यक्ति एक ही OPC में सदस्य या नामांकित के रूप में जुड़ सकता है।

- यदि कोई व्यक्ति गलती से दो OPC में शामिल हो जाए तो उसे कितने दिनों के भीतर स्थिति सुधारनी होती है?
 - 90 दिन
 - 120 दिन
 - 180 दिन
 - 365 दिन(C)

व्याख्या: नियमों के अनुसार स्थिति सुधारने के लिए 180 दिनों का समय निर्धारित है।

- OPC किन गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकती?
 - व्यापार
 - उत्पादन
 - गैर-बैंकिंग वित्तीय गतिविधियाँ जैसे निवेश
 - सेवाएं प्रदान करना(C)

व्याख्या: OPC को ऐसी वित्तीय गतिविधियाँ करने की अनुमति नहीं होती जो गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से संबंधित हों।

- OPC दो वर्ष पूरे होने से पहले स्वैच्छिक परिवर्तन कब कर सकती है?
 - जब टर्नओवर ₹1 करोड़ से अधिक हो
 - जब पूँजी ₹20 लाख से अधिक हो
 - जब पूँजी ₹50 लाख से अधिक या टर्नओवर ₹2 करोड़ से अधिक हो
 - किसी भी समय(C)

व्याख्या: पूँजी या टर्नओवर निर्धारित सीमा से अधिक होने पर परिवर्तन दो वर्ष से पहले भी संभव है।

- निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए कौन-सी संख्या आवश्यक है?
 - PAN
 - TIN
 - DIN
 - CIN(C)

व्याख्या: निदेशक बनने के लिए DIN (Director Identification Number) आवश्यक है।

- DIN प्राप्त होने के बाद आवेदक को पुनः आवेदन कब करना होता है?
 - प्रत्येक वर्ष
 - पाँच वर्ष बाद
 - दस वर्ष बाद
 - दोबारा आवेदन नहीं करना होता(D)

व्याख्या: DIN एक बार जारी होने पर दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती।